

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2015

कमांक:-भू.अ./2015/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामेश्वर पिता मंगूजी नि. पटवार के राजस्व ग्राम पटवार में जन्मदि संवत् 20.18.200, 64/2007 के खाता संख्या 720,115, 719 में जन्म/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जन्म/नाम रामेश्वर किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जन्म/नाम रामेश्वर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2016/1059

दिनांक:- / / 2016

विमित्त,

पटवार हल्का

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रामेश्वर पिता मंगूजी राजस्व ग्राम पटवार में जन्म/नाम रामेश्वर की खाता संख्या 720,115, 719 में जन्म/नाम दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जन्म/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामेश्वर पिता मंगूजी जन्म/नाम रामेश्वर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ